महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

वित्त समिति की तृतीय (03/2023) बैठक दिनांक 27.03.2023 का कार्यवृत्त

नवस्थापित महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 27.03.2023 का माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ स्थित कैम्प कार्यालय पर पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

क्र.	नाम	संस्था/विभाग का नाम	पदनाम	समिति दायित्व
1.	प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा	महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़	कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं प्रतिनिधि– उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	श्री वी0पी0 कौशल	महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़	कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
4.	श्री विजय कुमार सिंह	महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़	वित्त अधिकारी एवं प्रतिनिधि– वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सचिव

मा0 कुलपति जी की अनुमति से वित्त अधिकारी ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की।

मद सं0 1– वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 3 नवम्बर 2022 में लिए गए निर्णयों का सम्पुष्टीकरण–

निर्णय पिछली बैठक दिनांक 03.11.2022 में लिए गये निर्णयों/कार्यवृत्त को वित्त समिति के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया। समुचित विचारोपरान्त पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों/कार्यवृत्त की पुष्टी की गयी ।

मद सं0 2– विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सेमेस्टरवार परीक्षा/शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विचार।

सूच्य है कि विश्वविद्यालय में शासन के निर्देशों के अनुपालन में सत्र 2022–23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार पाठ्यक्रम/सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई थी। शासन स्तर से स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षा शुल्क का निर्धारण तो हो गया था (वित्त समिति की बैठक दिनांक 03.11.22 में अनुमोदित) जबकि शासन द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा शुल्क का निर्धारण नहीं हुआ था। अतः सत्र 2022–23 (दिसम्बर 2022) की परीक्षाओं हेतु विश्वविद्यालय द्वारा (पत्रांक 191/एफ0ओ0/22, दिनांक 25.11.2022) शुल्क का निर्धारण कर लिया गया था, जिसकी प्रति संलग्न है। प्रकरण विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त पत्रांक 191/एफ0ओ0/22 दिनांक 25.11.2022 द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क अनुमोदित व अंकित किया गया।

वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

मद सं. 3– केन्द्रीय मूल्यांकन में संलग्न समन्वयक/सह–समन्वयक/कर्मचारी/परीक्षकों के यात्रा भत्ता, पारिश्रमिक तथा जलपान की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श।

सूच्य है कि केन्द्रीय मूल्यांकन में संलग्न समन्वयक/सह–समन्वयक/कर्मचारी/परीक्षकों के यात्रा भत्ता, पारिश्रमिक तथा जलपान की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में विषय सूची के पृष्ठ संख्या 06 एंव पृष्ठ संख्या 06ए पर वीर बहादुर सिंह पू0वि0वि0 द्वारा निर्धारित दर संलग्न की गयी है। प्रकरण समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– इस सम्बन्ध में समिति ने उपरोक्तवत संलग्न वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर में वर्तमान में लागू/प्रचलित दरों का संज्ञान लिया, और सम्यक विचारोपरान्त उक्त के अनुरूप ही केन्द्रीय मूल्यांकन में संलग्न समन्वयक/सह–समन्वयक/कर्मचारी/परीक्षकों के पारिश्रमिक, टी0ए0, डी0ए0, जलपान एवं उत्तर–पुस्तिकाओं की मूल्यांकन हेतु दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार निम्नवत् पारिश्रमिक निर्धारित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

समन्वयक	प्रतिदिन 700	अधिकतम 40000
सह–समन्वयक	प्रतिदिन 500	अधिकतम 30000
तृतीय श्रेणी कर्मचारी	प्रतिदिन 350	अधिकतम 20000
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	प्रतिदिन 250	अधिकतम 15000

<u>डी0ए0–</u>

मूल वेतन	डी0ए0/प्रतिदिन
लेवल 13 एवं उच्च	600.00
लेवल 9 से 12	540.00
लेवल 7 से 8	480.00
लेवल 5 से 6	390.00
लेवल 5 से कम	240.00
स्ववित्तपोषित शिक्षक (बिना लेवल)	240.00

<u>टी0ए0–</u>

स्कूटर, मोटरसाइकिल, आदि से यात्रा रू0 5.00 प्रति किमी0 की दर से इस प्रतिबंध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रूपया 1000.00 से अधिक धनराशि देय नही होगी।

<u>जलपान–</u>

मूल्याकंन में आने वाले परीक्षकों, कर्मचारियों, कटिंग, स्टेप्लिंग कार्य में लगे हुए कर्मियों श्रमिकों को जलपान हेतु रू0 35 प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान किया जाए/व्यय अनुमन्य किया जाता है।

<u>उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन</u>

शासनादेश संख्या–176/सत्तर–12019– 15(32) /81, दिनांक 9 मार्च 2019 के अनुसार उत्तर–पुस्तिका मूल्यांकन हेतु निम्नवत् दर अनुमन्य होंगी।

स्नातक प्रति पुस्तिका	रू 20
परास्नातक प्रति पुस्तिका	रू 25

वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

Scanned with OKEN Scanner

मद सं. 4– पेपर सेटर्स/उड़ाका दल/पर्यवेक्षको के पारिश्रमिक दर के सम्बन्ध में विचार–विमर्श।

सूच्य है कि पेपर सेटर्स/उड़ाका दल के पारिश्रमिक दर के सम्बन्ध में विषय सूची के पृष्ठ संख्या 7 पर शासनादेश संख्या 176/सत्तर–1– 2019–15(32)/81, दिनांक 09 मार्च 2019 संलग्न की गयी है। प्रकरण समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– सम्यक विचारोंपरान्त शासनादेश संख्या 176/सत्तर–1– 2019–15(32)/81 दिनांक 09 मार्च 2019 के अनुसार ही पेपर सैटर्स/उड़ाका दल के सदस्य/पर्यवेक्षक दल के सदस्यों को पारिश्रमिक का भुगतान अनुमन्य करने का निर्णय लिया गया। परन्तु उड़ाका दल/पर्यवेक्षकों हेतु परीक्षा के दौरान वाहन की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना अनुमत किया गया।

मद सं. 5– विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों हेतु आकस्मिक व्यय तथा परीक्षा केन्द्र व्यय के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार।

सूच्य है कि विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों हेतु आकस्मिक व्यय तथा परीक्षा केन्द्र व्यय के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्य सूची के पृष्ठ संख्या 7 पर शासनादेश संख्या 176/सत्तर–1– 2019–15(32)/81 दिनांक 09 मार्च 2019 संलग्न की गयी है। प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– परीक्षा के शुचिता पूर्ण संचालन के लिए आकस्मिक व्यय के निर्धारण हेतु गठित परीक्षा परामर्श समिति की आख्या/संस्तुति दिनांक 27.03.2022 एवं अन्य विश्वविद्यालयों (तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ) में लागू दरों का सम्यक रूप से संज्ञान लेते हुए विचारोंपरान्त निम्नानुसार परीक्षा केन्द्र आकस्मिक व्यय निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

001 से 200 छात्र संख्या पर 10/रू प्रति छात्र
201 से 500 छात्र संख्या पर 09/रू प्रति छात्र न्यूनतम रू 2000
501 से अधिक छात्र संख्या पर 08/रू प्रति छात्र न्यूनतम रू 4500

जो कि परीक्षा केन्द्र व्यय हेतु (center charges) शासनादेश सं0 176/सत्तर–1– 2019–15(32)/81 दिनांक 09 मार्च 2019 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु प्रति परीक्षार्थी अनुमन्य व्यय के अतिरिक्त होगा। उपरोक्त निर्णय कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त आगामी सत्र 2023–24 से प्रभावी माना जाए।

मद सं. 6– वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु बजट पारित किए जाने पर विचार।

सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 का वास्तविक 2022–23, संशोधित वर्ष 2023–24 का अनुमानित बजट विषय सूची के पृष्ठ संख्या 8–18 पर संलग्न की गयी है। प्रकरण समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– समिति के समक्ष प्रस्तुत बजट के कम संख्या–120 पर उल्लिखित मद 'पुस्तकें/सन्दर्भ ग्रन्थ (केन्द्रीय पुस्तकालय) ई–लाईब्रेरी' के साथ फर्नीचर, फिक्सचर्स तथा उपकरण को जोडते हुए

वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

सम्यक विचारोंपरान्त वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्तविक, वर्ष 2022–23 के संशोधित एवं वर्ष 2023–24 के अनुमानित बजट को अनुमोदित किया गया।

मद सं 7– सचिव खेलकूद परिषद म0सु0दे0रा0वि0वि0के कार्यवृत दिनांक 13/12/22 पर विचार–विमर्श।

सूच्य है कि खेलकूद गतिविधियों पर होने वाले व्यय के संम्बध में सचिव खेलकूद परिषद के कार्यवृत, विषय सूची के पृष्ठ संख्या 19 पर संलग्न की गयी है। प्रकरण समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– वर्तमान में वीर बहादुर सिंह पू0वि0वि0, जौनपुर में कीडा परिषद द्वारा पारित विभिन्न मदों में जो व्यय अनुमत है उसे महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय के कीडा सचिव द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कर विश्वविद्यालय की कीडा परिषद में प्रस्तुत/पारित कराने की कार्यवाई की जाये तदनुसार अगली वित्त समिति की बैठक मे विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

मद सं. 8– विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले अतिथि/विशेष व्याख्यान हेतु दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार।

सूच्य है कि इस सम्बध में वीर बहादुर सिंह पू0वि0वि0, जौनपुर की लागू दरें उपलब्ध नही हो पायी।

मद सं. 9– विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में अतिथि प्रवक्ता के प्रति घंटे पारिश्रमिक निर्धारण के सम्बन्ध में विचार।

सूच्य है कि इस सम्बध में वीर बहादुर सिंह पू0वि0वि0, जौनपुर की लागू दरें उपलब्ध नही हो पायी।

निर्णय– मद संख्या 8 व 9 पर संयुक्त रूप से विचार–विमर्श करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बंधित नियामक संस्था द्वारा क्या व्यवस्था निर्देशित है तथा वर्तमान में प्रचलित शासनोदश के आलोक में विस्तृत प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाने के लिए निर्देशित किया गया।

मा0 कुलपति जी की अनुमति से पटल पर प्रस्तुत बिन्दु–

कुलसचिव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत संचालित कौशल विकास पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण के लिए मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति की आख्या दिनांक 27.02.2023 आख्या में उल्लिखित राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में इस हेतु प्रचलित व्यवस्था तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वोकेशनल/स्किल पाठ्यक्रमों के अध्यापन एवं परीक्षा हेतु सम्बद्ध महाविद्यालयों (समस्त) विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थियों से रू0 250 प्रति विद्यार्थी प्रति सेमेस्टर शुल्क No Profit

(4)

वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

सम्यक विचारोंपरान्त वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्तविक, वर्ष 2022–23 के संशोधित एवं वर्ष 2023–24 के अनुमानित बजट को अनुमोदित किया गया।

मद सं 7– सचिव खेलकूद परिषद म0सु0दे0रा0वि0वि0के कार्यवृत दिनांक 13/12/22 पर विचार–विमर्श।

सूच्य है कि खेलकूद गतिविधियों पर होने वाले व्यय के संम्बध में सचिव खेलकूद परिषद के कार्यवृत, विषय सूची के पृष्ठ संख्या 19 पर संलग्न की गयी है। प्रकरण समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– वर्तमान में वीर बहादुर सिंह पू0वि0वि0, जौनपुर में कीडा परिषद द्वारा पारित विभिन्न मदों में जो व्यय अनुमत है उसे महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय के कीडा सचिव द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कर विश्वविद्यालय की कीडा परिषद में प्रस्तुत/पारित कराने की कार्यवाई की जाये तदनुसार अगली वित्त समिति की बैठक मे विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

मद सं. 8– विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले अतिथि/विशेष व्याख्यान हेतु दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार।

सूच्य है कि इस सम्बध में वीर बहादुर सिंह पू0वि0वि0, जौनपुर की लागू दरें उपलब्ध नही हो पायी।

मद सं. 9– विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में अतिथि प्रवक्ता के प्रति घंटे पारिश्रमिक निर्धारण के सम्बन्ध में विचार।

सूच्य है कि इस सम्बध में वीर बहादुर सिंह पू0वि0वि0, जौनपुर की लागू दरें उपलब्ध नही हो पायी।

निर्णय– मद संख्या 8 व 9 पर संयुक्त रूप से विचार–विमर्श करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बंधित नियामक संस्था द्वारा क्या व्यवस्था निर्देशित है तथा वर्तमान में प्रचलित शासनोदश के आलोक में विस्तृत प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाने के लिए निर्देशित किया गया।

मा0 कुलपति जी की अनुमति से पटल पर प्रस्तुत बिन्दु–

कुलसचिव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत संचालित कौशल विकास पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण के लिए मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति की आख्या दिनांक 27.02.2023 आख्या में उल्लिखित राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में इस हेतु प्रचलित व्यवस्था तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वोकेशनल/स्किल पाठ्यक्रमों के अध्यापन एवं परीक्षा हेतु सम्बद्ध महाविद्यालयों (समस्त) विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थियों से रू0 250 प्रति विद्यार्थी प्रति सेमेस्टर शुल्क No Profit

वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

No Loss के सिद्धान्त पर लिया जाना अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त शुल्क को संस्थान/महाविद्यालय की आय का स्त्रोत न माना जाए।

समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त संस्थान/महाविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली मिड टर्म परीक्षा के व्ययों के प्रतिपूर्ति हेतु संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा प्रति विद्यार्थी रू0 100/– मिड टर्म परीक्षा शुल्क लिया जाना भी अनुमोदित किया। उपरोक्त निर्णय कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त आगामी सत्र 2023–24 से प्रभावी माना जाए।

बैठक के अन्त में वित्त अधिकारी द्वारा मा0 कुलपति एवं अध्यक्ष तथा उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए मा0 अध्यक्ष जी की अनुमति से बैठक समाप्त की गई।

(विजय कुमार सिंह)
वित्त अधिकारी/सदस्य
वित्त समिति
वित्त अधिकारी
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय
आजमगढ़

(प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा)
कुलपति/अध्यक्ष
वित्त समिति

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner